—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर) :—

पीठासीन अधिकारी :— श्री मुकेश कुमार चौधरी(आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :— 52 / 2013

उनवान

1. रंगलाल
2. सुखपाल
3. अमरा पि. लादू जाति जाट नि. ग्राम देराठू नसीराबाद

—— वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादी :— जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि. 1955 व धारा 136 भू. राज. अधि. 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 25.10.18

वाद के आवश्यक तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम देराठू के आराजी ख.न. 2841 रकबा 10—4—0 वादीगण की खातेदारी काश्तकारी की है। वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी वादीगण के नाम गैर खातेदारी व नामा0 स0 23 / 15.5.95 से खातेदारी दर्ज हुयी। किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त आराजी हाल ख0न0 4665 / 7468 रकबा 0.12, 4663 रकबा 0.01 व 4664 रकबा 1.52 को त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया गया। अतः वादग्रस्त आराजी का इन्द्राज दुरूस्त कर वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी सिवायचक होने से राज0 हित प्रभावित होते है। मौके पर खसरा नम्बर 4663 रकबा 0.01 है0 चाह है। व सिवायचक के रूप में दर्ज है।

प्रकरण में निम्न तनकी कायम की गयी :—

1. आया आराजी मुतनाजा विधिवत रूप से वादीगण को आवंटित व गैर खातेदारी की है ?
   —— वादी
2. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?
   —— वादी
3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये व वादी अमरा व गवाह सत्यनाराण के मौखिक बयान दर्ज करवाये।

राज0 पैरोकार ने प्रकरण में साक्ष्य आदि पेश नही कर जाहिर किया कि वादीगण अपना वाद स्वयं सिद्व करे। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने निवेदन किया कि ग्राम देराठू के आराजी ख.न. 2841 रकबा 10—4—0 वादीगण की खातेदारी काश्तकारी की है। वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी वादीगण के नाम नामान्तकरण संख्या 351 / 23..6.84 से गैर खातेदारी व नामा0 स0 23 / 18.5.95 से खातेदारी दर्ज हुयी। किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त आराजी हाल ख0न0 4665 / 7468 रकबा 0.12, 4663 रकबा 0.01 व 4664 रकबा 1.52 को त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया गया। नामान्तकरण संख्या 351 में चौसाला खसरा नम्बर 2650 के वंर्किग खसरा नम्बर 4841 रकबा 10—4—0 अंकित कर दिया है किन्तु मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वंर्किग खसरा नम्बर 4841 के चौसाला खसरा नम्बर 4650 है एवं खसरा नम्बर 4841 का रकबा 10—4—0 के स्थान पर 0—19—0 ही है। खसरा नम्बर 2841 के चौसाला खसरा नम्बर 2650 ही है।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अतः स्पष्ट है कि नामान्तकरण संख्या 351 में त्रुटिपूर्ण तरीके से वंर्किग खसरा नम्बर 2841 के स्थान पर 4841 दर्ज कर दिया। जबकि रकबा 10–4–0 सही दर्ज किया गया है। अतः वादग्रस्त आराजी का इन्द्राज दुरूस्त कर वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा नजीर 2016 आर.बी.जे. 303 पेश की गयी।

राज0 पैरोकार ने दौराने बहस कथन किया कि नामान्तरकरण संख्या 351 दिनांक 23.6.84 से वादीगण को वंर्किग खसरा नम्बर 2831, 2827 व 4841 की गैर खातेदारी दी गयी थी। वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 1049 में खसरा नम्बर 2827 व 2831 तो सही दर्ज है किन्तु खसरा नम्बर 4841 के स्थान पर खसरा नम्बर 2841 दर्ज कर दिया है जबकि वादीगण को वंर्किग खसरा नम्बर 2841 का आवंटन ही नही हुआ था। इसी प्रकार नामान्तकरण संख्या 23 दिनांक 18.5.95 द्वारा वादीगण को वंर्किग खसरा नम्बर 2827 व 2831 की खातेदारी दी गयी। किन्तु वंर्किग जमाबंदी में उक्त नामान्तकरण का नोट अंकित करते समय खसरा नम्बर 2827 व 2831 के साथ खसरा नम्बर 2841 की खातेदारी देने का अंकन भी कर दिया। इस प्रकार नामान्तकरण संख्या 351 व 23 में खसरा नम्बर 2841 का अंकन नही होने के कारण वादीगण को उक्त आराजी का आवंटन होना सिद्व नही होता है। वादी ने यह भी स्पष्ट नही किया है कि वंर्किग खसरा नम्बर 4841 की क्या स्थिति है एवं वह किस की खातेदारी में है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत नजीर का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

वादीगण का कथन है कि वंर्किग ख.न. 2841 रकबा 10–4–0 की नामा0 स0 351/23.684 से उक्त आराजी वादीगण के नाम गैर खातेदारी व नामा0 स0 23/15.5.95 से खातेदारी दर्ज हुयी। जिसके समर्थन में वादीगण द्वारा नामान्तकरण पेश किया है। प्रस्तुत तनकी में यही निर्णित करना है कि क्या वादग्रस्त आराजी वादीगण को विधिवत आवंटित हुयी थी अथवा नही। इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर ही है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत नामा. स. 351/23.6.84 के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि वादीगण को ग्राम देराठू के वंर्किग ख.न. 2837 (5–2–0) व 2831 (5–4–0) के साथ वंर्किग ख.न. 4841 रकबा 10–4–0 का आवंटन किया गया था। नामान्तकरण संख्या 351 में चौसाला खसरा नम्बर 2650 के वंर्किग खसरा नम्बर 4841 रकबा 10–4–0 अंकित कर दिया है किन्तु मिलान क्षेत्रफल व वंर्किग जमाबंदी के अनुसार वंर्किग खसरा नम्बर 4841 के चौसाला खसरा नम्बर 4650 है एवं खसरा नम्बर 4841 का रकबा 10–4–0 के स्थान पर 0–19–0 ही है। खसरा नम्बर 2841 के चौसाला खसरा नम्बर 2650 ही है। अतः स्पष्ट है कि नामान्तकरण संख्या 351 में त्रुटिपूर्ण तरीके से वंर्किग खसरा नम्बर 2841 के स्थान पर 4841 दर्ज कर दिया। जबकि रकबा 10–4–0 सही दर्ज किया गया है।

नामान्तकरण संख्या 351 में हुयी उक्त त्रुटि के कारण नामा. स. 23/18.5.95 से उन्हे वंर्किग ख.न. 2837 (5–2–0) व 2831 (5–4–0) के खातेदारी अधिकार दिये गये थे व ख.न. 2841 अथवा 4841 के खातेदारी अधिकार वादीगण को नही दियें गये। नामान्तकरण संख्या 351 के कॉलम संख्या 14 में भी अंकित किया गया है कि **"आवंटन द्वारा एस.डी.ओ. सा. कंमाक, राजस्व अभियान195 दिनांक 23.6.84"** वादीगण द्वारा प्रस्तुत वंर्किग मानचित्र में भी खसरा नम्बर 4841 का रकबा छोटा है जबकि खसरा नम्बर 2841 का रकबा बडा है। उक्त खसरा नम्बर 10–4–0 का था। जो राजस्व मानचित्र से स्पष्ट है। साथ ही नामान्तकरण संख्या 351 में इस बात का अंकन भी है कि चौसाला खसरा नम्बर का गत खसरा नम्बर 4841 के स्थान पर 2841 होना चाहिये।

इस प्रकार वादीगण यह सिद्व करने में सफल रहे है कि ग्राम देराठू के वंर्किग ख.न. 2841 रकबा 10–4–0 का विधिवत आवंटन उन्हे किया गया था। तनकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण राजस्व अभिलेख से सिद्व होता है कि वादीगण को वंर्किग ख.न. 2841 का आवंटन हुआ। किन्तु नामान्तकरण में लिपिकिय त्रुटि के कारण उक्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज कर दी गयी जबकि उक्त खसरा नम्बर 2841 के साथ आवंटित अन्य वंर्किग खसरा नम्बर 2827 व 2831 को हाल राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम ही दर्ज किया गया है। वादीगण का कथन है कि नामान्तकरण संख्या 351 में सहवन से खसरा नम्बर 2841 के स्थान पर 4841 दर्ज कर दिये है जिसके समर्थन में वादी ने चौसाला खसरा नम्बर 2650, 4650 का मिलान वंर्किग खसरा नम्बर 4841, 2841 की वंर्किग जमाबंदी व राजस्व मानचित्र पेश किया है। साथ ही वंर्किग खसरा नम्बर 4841 की जमाबंदी जो वादीगण द्वारा प्रस्तुत की गयी है में उक्त आराजी का रकबा 0–19–0 है व सिवायचक खाते में दर्ज है। उक्त जमाबंदी में भी इस बात की ताईद होती है कि वादीगण को वंर्किग खसरा नम्बर 2841 का ही आवंटन हुआ

––3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

था। राज0 पैरोकार द्वारा दौराने बहस खसरा नम्बर के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज बाबत जो आपत्ति की गयी थी। उक्त आपत्ति का निस्तारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त राजस्व अभिलेख के विवेचन से वादीगण के पक्ष में होता है। आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होंता है। मात्र सिवायचक होने के आधार पर वादीगण का वाद खारिज किया जाना न्यायोचित नही है। राज0 पैरोकार ने वाद के खण्डन में कोई ठोस साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये है। वादीगण को उक्त आराजी का आवंटन विधिवत हुआ है जिसको निरस्त नही किया गया है। बंदोबस्त विभाग को बिना किसी आदेश अथवा नामान्तकरण पूर्व इन्द्राज परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही है। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत नजीर 2016 आर.बी.जे. 303 " settiement department had no right to change the excisting entiries and can not change the kind of land or rights of parties in the land" प्रकरण में चस्पा होती है। अतः तनकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी सिद्व होती है।

अतः ग्राम देराठू के हाल ख.न. 4665/7468 रकबा 0.12, 4663 रकबा 0.01 व 4664 रकबा 1.52 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता हैं। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दराम की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रंगलाल वगै0 बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88, 188, राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज. अधि.1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 52/2013
पेश करने की दिनांक – 8.3.13

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम देराठू के हाल ख.न. 4665/7468 रकबा 0.12, 4663 रकबा 0.01 व 4664 रकबा 1.52 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता हैं। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दराम की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक २५ माह १० सन् 2018 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद